किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) मुकदमा नम्बर 384 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.2025	प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री हेमेन्द्रसिंह भाटी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की आवगी खातेदारी का खेत मौजा नीम्बला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 872 / 153 रकबा 6.2321 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी के सेढासेढ ही विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत आये हुए है। सेढे को लेकर पक्षकारान् के मध्य विवाद रहता है। प्रार्थीगण विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने तथा मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर नव निर्माण कार्य कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है, जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थीगण के खातेदारी हक हिस्सा व कब्जा काश्त में बलपूर्वक प्रवेश कर प्रार्थीगण को बेदखल किया जाता है अथवा मौका स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी / हस्तक्षेप नहीं करने, किसी प्रकार का नव निर्माण कार्य नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर अपने हक हिस्सा में काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी पैदा की जाकर उन्हे बेदखल किया जाता है अथवा उनके हक हिस्सा की भूमि पर जबरन कब्जा किया जाता है अथवा नव निर्माण कार्य किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी तथा प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आरजी / आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा नीम्बला, तह[illegible] खसरा नम्बर 872 / 153 रकबा 6.2321 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थी[illegible] विरूद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने, नव निर्माण [illegible] मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये [illegible] का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है। पत्रावली वास्ते तहसीलदार शिव को सीमाज्ञान रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर एवं विप्रार्थीगण के सम्मन / नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 03.09.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:59:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.3.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 16.4.26 को पेश हो।	
16.4.26	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी कार्यालय के कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 30.4.26 को पेश हो।	
30.04.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। पत्रावली की पैरवी हेतु पक्षकारान व वकील को न्यायालय समय में रूक-रूककर आवाजें दी जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं। चूंकि पत्रावली दर्ज दिनांक से लेकर तामिली की प्रारंभिक स्टेज पर है। अत: पत्रावली की पैरवी नहीं होने तथा तामिली नहीं होने पर उक्त आवेदन इसी स्टेज पर तामिली के अभाव व अदम तामील व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (बाड़मेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:59:20 IST
Reason: SelfAttested